माननीय न्यायमूर्ति एम. एल. कौल और साल पाल के समक्ष

राम चंदर,-याचिकाकर्ता,

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य -उत्तरदाता।

एल. पी. ए.1995 का 478

31 जुलाई, 1996

भारत का संविधान - कला. 14, 16, 226 और 300 - याचिकाकर्ता को अन्य जिलेदारों के साथ 1986 में सहायक राजस्व लिपिक के पद पर वापस कर दिया गया - कई प्रत्यावर्तित उम्मीदवारों ने 1986 में प्रत्यावर्तन को चुनौती दी - उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तन आदेशों को रद्द कर दिया गया और 1992 में सरकार द्वारा वापस ले लिया गया - याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण आदेशों के खिलाफ कानूनी उपाय की मांग नहीं की - याचिकाकर्ता अनुतोष देने के लिए अभ्यावेदन दे रहा है जो समान रूप से स्थित ज़िलेदारों को दी गई थी - याचिकाकर्ता ने 1993 में रिट याचिका दायर की - विद्वान एकल न्यायमूर्तिने याचिका को देरी और लाचेस द्वारा वर्जित के रूप में खारिज कर दिया - अपील में एकल न्यायमूर्तिद्वारा पारित आदेशों को सेट किया गया इस आधार पर कि याचिकाकर्ता अधिकार के तौर पर सरकार द्वारा उसी अनुतोष का हकदार है जो अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों को दी गई है - याचिकाकर्ता को अनुतोष देने से इनकार करने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा देरी और देरी नहीं की जा सकती है।

याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को पूरी तरह से स्थापित और साबित कर दिया है कि उसके साथ अधिकारियों द्वारा इस तरह से भेदभाव किया गया है कि ज़िलेदारों के प्रत्यावर्तन आदेश, जिन्हें उनकी सेवा के दौरान समान रूप से रखा गया था, सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है (इसमें हस्तक्षेप पर कोई संदेह नहीं है) यह न्यायालय) लेकिन याचिकाकर्ता को कोई समान व्यवहार प्रदान नहीं किया गया है जो समान रूप से स्थित है या उसी श्रेणी में है जैसा कि अन्य को रखा गया था और यहां तक कि उनमें से कुछ जो उससे कनिष्ठ थे उन्हें ज़िलेदार के रूप में तैनात किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में रिट याचिका दायर करने में देरी उसे अपने प्रत्यावर्तन को वापस लेने से नहीं रोकती है, जब सेवा की उसी श्रेणी में स्थित अन्य अधिकारियों को उनके प्रत्यावर्तन आदेशों को वापस लेने के बाद ज़िलेदारों की उनकी मूल स्थिति में वापस लाया गया है। कनिष्ठ जिनके विरुद्ध उसने कोई अनुतोष नहीं मांगी है कि उसे उनसे वरिष्ठ बना दिया जाए। यह एक उचित मामला है जहां असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है।

(पैरा 12 &13)

एस. के. सूद, अधिवक्ता, अपीलकर्ता की ओर से।

महेश ग्रोवर, हरियाणा राज्य के अधिवक्ता ।

निर्णय

न्यायमूर्तिएम. एल. कौल

1. यह लेटर्स पेटेंट अपील 4 जनवरी 1995 के विद्वान एकल न्यायमूर्तिके फैसले से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत अपीलकर्ता (इसके बाद याचिकाकर्ता के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर याचिका मुख्य रूप से दो आधारों पर खारिज कर दी गई थी —

(आ) देरी और इस बात के आधार पर कि रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा सात साल के अंतराल के बाद दायर की गई थी ;

(ब) कि जिन व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया है और याचिकाकर्ता से कनिष्ठ हैं, उन्हें रिट याचिका में पक्षकारों के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

2. संक्षेप में, इस अपील को जन्म देने वाले मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता जिसे जिलदार के रूप में पदोन्नत किया गया था।19 नवंबर, 1961 को 25 जनवरी, 1986 को सहायक राजस्व क्लर्क के पद पर इस आधार पर वापस भेज दिया गया कि उन्हें अनुमेय प्रत्यक्ष कोटे के खिलाफ उस पद पर नियुक्त किया गया था।इसी आधार पर कुछ अन्य जिलदारों को वापस भेज दिया गया जिन्होंने सिविल रिट याचिका संख्या 1384,1208,1302,1393,1395,1439,1574,1799 को प्राथमिकता दी। 1984 का 3346 और 3743 और 1986 का 4381।इन सिविल रिट याचिकाओं में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यावर्तन कानून के उल्लंघन में किए गए थे और रिट याचिकाओं की अनुमति दी गई थी।इस न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप 31 जुलाई, 1992 और 28 दिसंबर, 1992 के आदेशों के माध्यम से जिलदारों की संख्या के प्रत्यावर्तन आदेश वापस ले लिए गए, जैसा कि अनुलग्नक पी-3 और पी-4 में निहित है।याचिकाकर्ता, जो उन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की संख्या से वरिष्ठ था, ने 12 दिसंबर, 1992 को अपने प्रत्यावर्तन आदेश को वापस लेने के लिए अधिकारियों को एक अभ्यावेदन दिया।याचिकाकर्ता ने 4 जनवरी, 1993 को एक और अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन उनके प्रत्यावर्तन आदेश को वापस नहीं लिया गया।इसके बाद याचिकाकर्ता ने 1993 की सिविल रिट याचिका संख्या 3161 दायर की, जिसमें से वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील उत्पन्न हुई है।

3. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता को प्रत्यक्ष कोटे के खिलाफ अनुमेय पद पर जिलदार के रूप में नियुक्त किया गया था और 25 जनवरी, 1986 के व्यापक आदेश के अनुसार अन्य जिलदारों के साथ वापस कर दिया गया था।इसी सादृश्य पर कुछ अन्य जिलदारों को वापस कर दिया गया था और उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कीं जिन्हें अनुमति दी गई थी और प्रत्यावर्तन

आदेश वापस ले लिए गए थे।याचिकाकर्ता का प्रत्यावर्तन आदेश, जो संभवतः स्थित था, वापस नहीं लिया गया था क्योंकि उसने अपने प्रत्यावर्तन आदेश के खिलाफ कोई रिट याचिका दायर नहीं की थी।इसलिए विद्वान एकल न्यायमूर्तिने पाया कि याचिकाकर्ता का मामला विलंब और बाधाओं और पक्षों के गैर-प्रतिवादी के लिए वर्जित था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री सूद ने तर्क दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता उसी आधार पर खड़ा था जिस पर उसके सहयोगियों के प्रत्यावर्तन आदेश वापस ले लिए गए थे, इसलिए, उत्तरदाताओं का यह रुख कि याचिकाकर्ता ऐसी अनुतोष का हकदार नहीं है, गलत है। वह इस न्यायालय द्वारा पारित एक कवर किए गए फैसले के आधार पर अनुतोष की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत अधिकांश रिवर्ट किए गए ज़िलेदारों की रिट याचिकाओं को अनुमति दी गई है और उन्हें उनके कुछ कनिष्ठों के साथ पदोन्नत किया गया है।

5. अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दिल्ली के उपराज्यपाल बनाम कांस्टेबल मामले 1991 (3) एस.एल.आर. 1 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर भरोसा जताया, जिसमें ट्रिब्यूनल के 26 नवंबर 1987 के फैसले और आदेश की पुष्टि तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ सी.डब्ल्यू.पी. में दिल्ली उच्च न्यायालय 1978 की संख्या 270 और 937 द्वारा दिए गए फैसले पर विचार करने के बाद की गई थी । उस मामले में संक्षेप में यह था कि 1964 से 1966 में नियुक्त दिल्ली पुलिस में कुछ कांस्टेबलों की सेवाओं को अप्रैल,1967 में अन्य कांस्टेबलों के साथ आंदोलन में उनकी भागीदारी के कारण समाप्त कर दिया गया था। संसद में शोर-शराबे के कारण, बर्खास्त कांस्टेबलों को सेवा में बहाल कर दिया गया, लेकिन कुछ कांस्टेबल जिन्हें बहाल नहीं किया गया, उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका संख्या 29/1969 और 106/1970 दायर की, जिसके आदेश के अनुसार दिनांक 1 अक्टूबर, 1975 ने समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया और उस मामले में याचिकाकर्ताओं को सेवा से बाहर घोषित कर दिया गया। प्रशासन ने अपीलों को प्राथमिकता दी जिन्हें खारिज कर दिया गया। इसके बाद, कुछ अन्य कांस्टेबल जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं लेकिन उन्हें सेवा में बहाल नहीं किया गया था, उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर कीं।इन रिट याचिकाओं को बाद में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण,दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया। न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं को देरी के कारण अनुतोष देने से इनकार कर दिया जाना चाहिए और कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं (इन अपीलों में प्रतिपालकों) के दावे 1978 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 270 और 937 में याचिकाकर्ताओं के दावे के समान थे, जिनकी याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी।न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता उसी अनुतोष के हकदार हैं जो याचिकाकर्ताओं को सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 270 और 1978 का 937। में दी गई थी।

6. उक्त मामला कानून के आधार पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एक बार जब याचिकाकर्ता का दावा अन्य जिलदारों के दावे के समान था, जिनके प्रत्यावर्तन आदेश वापस ले लिए गए हैं और उन्हें उनके कुछ कनिष्ठों सहित जिलदारों के रूप में तैनात किया गया है, तो प्रतिवादी का तर्क कि याचिकाकर्ता

देरी और बाधाओं के कारण ऐसी अनुतोष का हकदार नहीं है, किसी भी विचार के योग्य नहीं है और याचिकाकर्ता उसी अनुतोष का हकदार है जो संभावित रूप से रखे गए जिलदारों को दी गई है।

7. इस संबंध में उन्होंने हरभजन सिंह बैंस बनाम पंजाब राज्य आई.एल.आर. (1986) 2 पंजाब और हरियाणा 348 नामक इस न्यायालय की एकल पीठ प्राधिकरण का हवाला दिया। इसमें कहा गया है कि जब न्यायालय ने यह माना था कि सरकार सरकारी आदेश में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार शिक्षकों का वेतन तय करने के लिए बाध्य है, तो वही तरीके से शिक्षकों का वेतन तय करना प्राधिकारियों का कर्तव्य है। जिन लोगों ने इस संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर की थी, उन्होंने ऐसी कोई विशेष श्रेणी नहीं बनाई है, जो उन लोगों से अलग व्यवहार की गारंटी दे, जिन्होंने समान रूप से रखे जाने के बावजूद इस उद्देश्य के लिए अदालत से संपर्क नहीं किया था।

8. उत्तरदाता के वकील के इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि याचिकाकर्ता ऐसी अनुतोष का हकदार था जो उसके अन्य सहयोगियों को दी गई थी, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने समय पर असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए उसे ऐसी अनुतोष नहीं दी गई। ऊपर दिए इस न्यायालय के आदेश के उल्लेख के अनुसार राज्य द्वारा उठाया गया ऐसा बचाव बेकार प्रतीत होता है क्योंकि अनुबंध पी-1 के अनुसार याचिकाकर्ता को 24 अन्य ज़िल्दारों के साथ वापस कर दिया गया था और उनमें से अधिकांश को फैसले के मद्देनजर उनके प्रत्यावर्तन आदेश वापस लेने के बाद उनके पद पर वापस बहाल कर दिया गया है । याचिकाकर्ता अधिकार के तौर पर सरकार से ऐसी अनुतोष का हकदार था, लेकिन चूंकि राज्य ने ऐसा नहीं किया, इसलिए उसने अभ्यावेदन को प्राथमिकता दी। जब राज्य ने अभ्यावेदन पर कार्रवाई नहीं की। जब राज्य ने उनके अभ्यावेदन पर कार्रवाई नहीं की, तो उन्होंने रिट याचिका दायर की जिसे देरी और विलंब के आधार पर खारिज कर दिया गया है।

9. कांस्टेबल धर्मपाल के मामले (उपर्युक्त) और इस न्यायालय के एकल पीठ प्राधिकरण में निर्धारित कानून का सिद्धांत स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट करता है कि:

"जिन व्यक्तियों को समान रूप से रखा गया था, वे समान उपचार के हकदार थे और जिन्हें अदालत के फैसले के आधार पर अनुतोष मिली थी, उन्हें किसी भी विशेष श्रेणी का गठन करने और गठित करने के लिए नहीं माना जा सकता था, जो उन लोगों से अलग व्यवहार की आवश्यकता थी, जिन्होंने समान रूप से रखे जाने के बावजूद इस उद्देश्य अदालत से संपर्क नहीं किया था"।

10. मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता अपने सहकर्मियों के आदेशों के आधार पर अपने प्रत्यावर्तन आदेश को रद्द करने की मांग करता है, जिन्हें इसी तरह रखा गया था और याचिकाकर्ता का मामला पूरी तरह से ऊपर उल्लिखित निर्णय के दायरे में आता है, जिसके द्वारा उसके सहयोगियों का प्रत्यावर्तन वापस ले लिया गया है और उन्हें ज़िलेदारों के रूप में उनकी मूल स्थिति पर वापस बहाल कर दिया गया है।

11. अमृत लोल बेरी के मामले 1975 (1) एस.एल.आर. 153 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून का एक प्रमुख सिद्धांत कहता है कि जिन मामलों में कथित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, वे केवल संविधान के अनुच्छेद 16 (1) द्वारा अपनाए गए सामान्य अधिकार हो सकते हैं, जिसमें लिखा है : "राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विशियों में सभी नागरिकों के लिए समानता होगी"। जहां एक याचिकाकर्ता का आरोप है कि उसे सरकारी कर्मचारी के रूप में रोजगार के दौरान सेवा के अवसर की समानता से वंचित कर दिया गया है, तो यह न केवल उस नियम का खुलासा करने के लिए बाध्य है जिसका उल्लंघन किया गया है, बल्कि यह भी बताए कि कैसे उसके प्रत्येक विशेष अवसर को अनुचित तरीके से अस्वीकार कर दिया गया। रोजगार से संबंधित मामले में अवसर की समानता का तात्पर्य याचिकाकर्ता के समान स्थिति वाले या उसी श्रेणी के व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार से है। यह उन स्थितियों की समानता की परिकल्पना करता है जिसके तहत एक ही श्रेणी से संबंधित कई व्यक्ति समान अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और प्रतिस्पर्धी दावों पर निर्णय लेने में समान और कानूनी रूप से वैध मानकों के उचित और निष्पक्ष अनुप्रयोग की परिकल्पना करते हैं। यह उचित भेदभाव को बाहर नहीं करता है।

12. तत्काल मामले में याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को पूरी तरह से स्थापित और साबित कर दिया है कि अधिकारियों द्वारा उनके साथ इस तरह से भेदभाव किया गया है कि अन्य ज़िल्लेदारों जिन्हें उनकी सेवा के दौरान समान रूप से रखा गया था, के प्रत्यावर्तन आदेश सरकार द्वारा वापस ले लिए गए हैं (इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस न्यायालय के हस्तक्षेप पर) लेकिन याचिकाकर्ता के साथ कोई समान व्यवहार नहीं किया गया है जो समान रूप से स्थित है या उसी श्रेणी में है जैसा कि अन्य लोगों को रखा गया था और यहां तक कि उनमें से कुछ जो उनके कनिष्ठ थे, उन्हें भी ज़िल्लेदार के रूप में तैनात किया गया है।ऐसी परिस्थितियों में रिट याचिका दायर करने में देरी उन्हें अपने प्रत्यावर्तन को वापस लेने की मांग करने से नहीं रोकती है, जब उसी श्रेणी की सेवा में स्थित अन्य अधिकारियों को उनके प्रत्यावर्तन आदेश वापस लेने के बाद उनके मूल पद पर वापस लाया गया है, जिसमें उनके कनिष्ठ भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ उनके द्वारा कोई अनुतोष नहीं मांगी गई है कि उन्हें उनसे वरिष्ठ बनाया जाना चाहिए।

13. यह एक उचित मामला है जहां असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और विद्वान एकल न्यायमूर्तिद्वारा पारित आदेश को रद्द कर देते हैं, जिससे रिट याचिका भी स्वीकार हो जाती है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पारित प्रत्यावर्तन के आदेश को वापस लेते हुए, वे उसके कनिष्ठों की वरिष्ठता को परेशान नहीं करेंगे जिन्हें पहले ही पदोन्नत किया जा चुका है। प्रतिवादी राज्य को आज से एक महीने के भीतर याचिकाकर्ता के प्रत्यावर्तन आदेश को वापस लेने और उसे उक्त अवधि के भीतर अन्य सभी परिणामी लाभों के साथ ज़िलेदार के मूल पद पर वापस बहाल करने का निर्देश दिया जाता है, जो उसके कनिष्ठों को अनुमति दी गई थी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सचिन सिंघल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हिसार , हरियाणा